

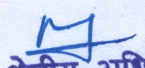
जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण

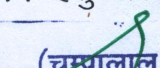
भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स संयोग एंटरप्राइसेस, एमएल नंबर -19/2024, (प्लॉट नं. 12) प्रस्तावित क्षेत्र- 52.2654 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ- 112026.816 टीपीए (रोम), निकट गांव:- जसनगर, तहसील- रियांबड़ी, जिला-नागौर (राजस्थान) में स्थित है में **बजरी (नदी रेत) खनन** की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई जिला कलेक्टर नागौर के प्रतिनिधि श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर की अध्यक्षता में एवं श्री राजकुमार मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर की उपस्थिति में **भारत निर्माण राजीव सेवा केंद्र (आई.टी. सेंटर) गांव-** जसनगर, तहसील- रियांबड़ी, जिला नागौर (राजस्थान) में दिनांक 16.05.2025 को दोपहर 12:00 बजे आयोजित की गई।

जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 05/04/2025 को समाचार पत्र "द इंडियन एक्सप्रेस" एवं "दैनिक नवज्योति" में प्रकाशित करवाई गई थी, जिसकी प्रतियाँ परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर ने सभी आगुन्तकों का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि उक्त जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, नागौर द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त जन सुनवाई की सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व दी जा चुकी है। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति या सुझाव दर्ज करवा सकते हैं। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। जनसुनवाई विडियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) को प्रेषित कर दिये जायेंगे। इसके पश्चात अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु मैसर्स संयोग एंटरप्राइसेस के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार मैसर्स वाईब्रेंट टेक्नो लेब प्राईवेट लिमिटेड को आमंत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार मैसर्स वाईब्रेंट टेक्नो लेब प्राईवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त खनन परियोजना निकट गांव:- जसनगर, तहसील- रियांबड़ी, जिला-नागौर (राजस्थान) में खनिज- **बजरी (नदी रेत) खनन** हेतु प्रस्तावित है, जिसका एम एल नंबर


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)


(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नागौर

19/2024, (प्लॉट नं. 12) प्रस्तावित क्षेत्र— 52.2654 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ— 112026.816 टीपीए (रोम), निकट गांव:— जसनगर, तहसील— रियांबड़ी, जिला—नागौर (राजस्थान) में स्थित है में **बजरी (नदी रेत) खनन** परियोजना होगी। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, खनन परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया।

पर्यावरणीय सलाहकार ने उपस्थित सभी नागरिकों से आग्रह किया कि आप सभी अपने गांव के लिए विकास कार्य, कल्याण कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास या अन्य हमारे सामाजिक दायित्वों के सम्बन्ध में प्राथमिकता के साथ अपने सुझाव प्रस्तुत करें।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि बजरी खनन परियोजना से सम्बन्धित पर्यावरण एवं विकास के सम्बन्ध में इसने द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुति में अन्य सुधार एवं अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपने सुझाव/आक्षेप/विरोध प्रस्तुत करें।

श्री रामदेव बांता, लीलीया सरपंच ने कहा कि जल्द से जल्द खनन कार्य प्रारम्भ करें।

श्री नोरतमल निवासी जसनगर ने कहा कि खनन के दौरान जो भी सड़क क्षतिग्रस्त होती है, उसकी मरम्मत एवं नियमित पानी का छिड़काव करें।

पर्यावरणीय सलाहकार ने कहा कि पानी का नियमित छिड़काव किया जायेगा एवं पर्यावरणीय संरक्षण के तहत निकटवर्ती गांवों के सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये का बजट रखा गया है।

श्री रामदेव जाजड़ा, निवासी जसनगर द्वारा पूछा कहा कि गांव में सार्वजनिक एवं सामाजिक कार्यों के लिए क्या किया जायेगा? जिसके प्रत्युत्तर में पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया कि सामाजिक कार्यों के अन्तर्गत सामुदायिक शिक्षा सुधार, सामुदायिक स्वास्थ्य सुधार, तकनीकी कौशल, जनसमुह के कार्यक्रम आदि किये जायेंगे। सरकार की सभी शर्तें एवं नियमों का पालन करने के लिए परियोजना प्रस्तावक बाध्य रहेंगे तथा प्रति 6 माह में कम्प्लाइंस रिपोर्ट सम्बन्धित विभागों में जमा करवाई जानी अनिवार्य है, अन्यथा पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया जायेगा।


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)


(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

श्री मांगीलाल जाट, निवासी जावली ने कहा कि इस परियोजना के तहत स्थानीय रोजगार का क्या प्रस्ताव है? जिसके प्रत्युत्तर में पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया कि स्थानीय रोजगार के अन्तर्गत 20 लोगों को प्रत्यक्ष एवं तकरीबन 100 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार दिया जायेगा तथा अप्रशिक्षित लोगों को तकनीकी कौशल प्रदान कर रोजगार योग्य बनाया जायेगा।

श्री मुल्तानराम माली, निवासी जसनगर ने कहा कि बजरी की दरों में स्थानीय लोगों को छूट दी जायें। जिसके प्रत्युत्तर में पर्यावरणीय सलाहकार ने कहा कि इसके सम्बन्ध में सरकार का फैसला मान्य होगा।

श्री बक्शाराम जाट, उपसरपंच जसनगर ने कहा कि जल्दी से जल्दी ये प्रारम्भ करवावें।

श्री हीरालाल माली निवासी जसनगर ने कहा कि यदि सरकार बजरी की दरों में जसनगर निवासियों को रियायत देती है, तो प्रदान करें।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि रामदेवजी बांता, नोरतमलजी माली, रामदेवजी जाजड़ा, मांगीलालजी जाट, मुल्तानरामजी माली, बक्शारामजी जाट, हीरालालजी माली इन सभी के अब तक दिये गये सुझावों के अतिरिक्त अन्य कोई सुझाव हो तो आप प्रस्तुत करें।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन-मानस को अपने सुझाव/आपत्ति/आक्षेप आदि प्रस्तुत करने हेतु पुनः निवेदन किया गया।

श्री रामदेव जाजड़ा ने कहा कि पर्यावरण संतुलन के लिए कितने पेड़-पौधे लगेंगे। जिसके प्रत्युत्तर में पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया कि आने वाले मानसून में 17240 पेड़/पौधे लगाने प्रस्तावित है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुति के सन्दर्भ में उपस्थित नागरिकों से सुझाव/आक्षेप/आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए पुनः निवेदन किया।

तुलसीराम माली निवासी जसनगर ने कहा कि जसनगर के लिए बजरी फ्री होनी चाहिए। पर्यावरणीय सलाहकार ने कहा कि अगर सरकार आदेश देती है, तो हम पालना करेंगे।

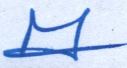
हीरालाल माली निवासी जसनगर ने कहा कि अवैध बजरी खनन को बंद किया जाये।

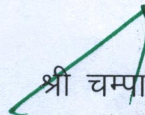
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि जब वैध खनन प्रारम्भ हो जायेगा, तो अवैध अपने आप ही बंद हो जायेगा। पूर्व में राजस्थान में केवल 2-5 ही वैध खनन इकाई थी, लेकिन अब आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु अनेकों प्लॉट स्थापित हो रहे हैं, जिससे अवैध खनन पर प्रतिबन्ध लग जायेगा।

श्री हीरालाल माली निवासी जसनगर ने कहा कि जसनगर के स्थानीय लोग अगर यहां से बजरी लेते हैं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती हैं। अतः हमारी आपके मांग है कि जसनगर के लोगों के लिए बजरी मुफ्त की जाये।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि आपके द्वारा दिये गये सुझाव, आपकी मांगें, तथा आपके आक्षेप सभी दर्ज कर लिये गये हैं, उन्हें उच्च स्तर तक पहुंचाया जायेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन-मानस से प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पुनः निवेदन किया गया। अन्त में ग्रामवासियों द्वारा अन्य कोई आपत्ति/आपेक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी ने जनसुनवाई के समापन की घोषणा की एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय तथा उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई के दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात ग्राम पंचायत ग्रामवासियों के माध्यम से लिखित में कोई भी आक्षेप इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।


श्री राजकुमार मीणा,
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.रा.प्र.नि.म., नागौर
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)


श्री चम्पालाल जीनगर,
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
नागौर, जिला- नागौर
(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

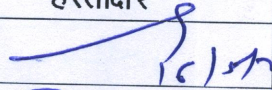
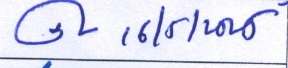
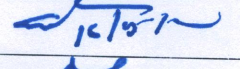
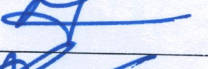
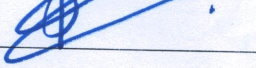
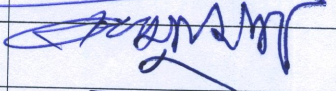
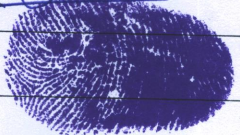
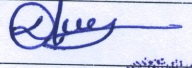
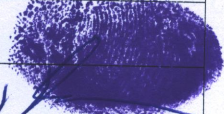
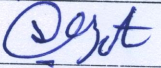
उपस्थिति पंजिका

प्रस्तावित बजरी (नदी रेत) खनन परियोजना, आवेदक मैसर्स संयोग एंटरप्राइसेस, एमएल नंबर -19/2024, (प्लॉट नं. 12) प्रस्तावित क्षेत्र- 52.2654 हेक्टेयर; प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ- 112026.816 टीपीए (रोम), निकट गांव:- जसनगर, तहसील- रियांबड़ी, जिला-नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थान:- भारत निर्माण राजीव सेवा केंद्र (आई.टी. सेंटर) जसनगर, तहसील- रियांबड़ी, जिला नागौर

दिनांक: 16.05.2025,

समय: दोपहर: 12:00 बजे

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
①	अमल नारायण	Adm नागौर	
2.	Suresh Kumar	SDM Riga	
3.	Bhinnu Rij	TDR Riga	
4	Kj Kumar Meera	R.O., RSPCB Nagaur	
5.	Hemant Kumar	JEEB, RO RSPCB Nagaur	
6.	अमल नारायण	जसनगर	
7	रामदेव संरपन	लि ली या	रामदेव
8	सुनील नारायण	जसनगर	सुनील नारायण
9	उमोद राम	जसनगर	उमोद राम
10	लक्ष्मण राम	जसनगर	
11	अलपुरा	जसनगर	
12	हनुमान	जसनगर	
13	जैना राम	ली ली या	हनुमान
14	रामदेव	रामदेव लाव	
15	पुरवाराम चोरीया	जसनगर	
16	रामदेव	लाव	रामदेव
17	शंकर लाल	जसनगर	शंकर लाल
18	रामलाल ईनागिया	होमलियावास	रामलाल
19	दीपलाल खाली	जसनगर	दीपलाल
20	महेश कुमार	जसनगर	महेश कुमार
21	पोंगीलाल जार	लावली	
22	महेन्द्र बाल्ता	ली ली या	महेन्द्र

उपस्थिति पंजिका

प्रस्तावित बजरी (नदी रेत) खनन परियोजना, आवेदक मैसर्स संयोग एंटरप्राइजेस, एमएल नंबर -19/2024, (प्लॉ नं. 12) प्रस्तावित क्षेत्र- 52.2654 हेक्टेयर; प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ- 112026.816 टीपीए (रोम), निक गांव:- जसनगर, तहसील- रियांबड़ी, जिला-नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थान:- भारत निर्माण राजीव सेवा केंद्र (आई.टी. सेंटर) जसनगर, तहसील- रियांबड़ी, जिला नागौर

दिनांक: 16.05.2025,

समय: दोपहर: 12:00 बजे

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
23	डीनपुरी	भवांल माता नंदर	
24	मुल्तागर	जसनगर	
25	कुमाराम	जसनगर	
26	चम्पाराम	जसनगर	
27	चौराम	जसनगर	
28	सुगनराम		
29	रामनिवेश	नदी पट्टा	
30	Ramoulax Saini	जसनगर	
31	रिपाराम	जसनगर	
32	रामचरण		
33	रामचरण	जसनगर	
34	रामचरण	जसनगर	
35	सुरेश	नागौर (शमल)	
36	मलाराम सारका	जसनगर	
37	रामचरण	जसनगर	
38	रामजी	जसनगर	
39	मोहनराम	जसनगर	
40	रामनिवेश सारका	जसनगर	
41	लुक्कामाई नंदर	जसनगर	
42	चुतराम	जसनगर	
43	मदनराम	जसनगर	
44	अशोक चन्द	जसनगर	
45	अशोक साखला	जसनगर	

उपस्थिति पंजिका

प्रस्तावित बजरी (नदी रेत) खनन परियोजना, आवेदक मैसर्स संयोग एंटरप्राइजेस, एमएल नंबर -19/2024, (प्लॉ नं. 12) प्रस्तावित क्षेत्र- 52.2654 हेक्टेयर; प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ- 1.12026.816 टीपीए (रोम), निक गांव:- जसनगर, तहसील- रियाबड़ी, जिला-नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थान:- भारत निर्माण राजीव सेवा केंद्र (आई.टी. सेंटर) जसनगर, तहसील- रियांबड़ी, जिला नागौर

दिनांक: 16.05.2025,

समय: दोपहर: 12:00 बजे

[illegible]





